कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश, भोपाल

क्रमांक 698 /पी.ए./प्र.अ./10 भोपाल, दिनांक 27.8.10

प्रति,

मुख्य अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर परिक्षेत्र

समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश

समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश ।

विषयः– मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारन्टी विधेयक 2010

:::

जैसा कि विदित है, राज्य शासन द्वारा उपरोक्त विधेयक हाल ही में प्रभावशील किया गया है तथा इससे संबंधित औपचारिक आदेश शीघ्र ही प्राप्त होंगे ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबधित हैण्डपंप सुधार कार्य को इस विधेयक के अंतर्गत रखा गया है एवं प्रत्येक स्तर पर समय सीमा निर्धारित की गई है । समय सीमा में कार्यवाही नहीं होने पर इस विधेयक के अंतर्गत शासकीय सेवकों पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है । विभागीय प्रस्ताव एवं निर्धारित समयावधि की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, इस प्रक्रिया के अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जाना होगी । कृपया अभी से इस संबंध में अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें जानकारी उपलब्ध करा दें जिससे विधेयक के प्रावधान प्रभावशील होने के तत्काल बाद विभाग की तैयारी पूर्ण रहे एवं किसी भी विभागीय कर्मचारी/अधिकारी के लिये कोई विपरीत स्थिति निर्मित न हो ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 699 /पी.ए./प्र.अ./10 भोपाल, दिनांक 27.8.10

प्रतिलिपिः–

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

प्रमुख अभियंता

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

क्र	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	सेवा प्राप्त करने के आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज *	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी	पुनरीक्षण अधिकारी (संबंधित प्रशासकीय विभाग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विभागीय हैण्डपंप का सुधार करना			सरपंच से प्राप्त प्रमाण पत्र				लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
	अ. गौण स्वरूप का (भूतल के ऊपर के हैण्डपंप भाग में साधारण खराबी की मरम्मत)	हैण्ड पंप मैकेनिक / प्रभारी उपयंत्री	5		संबंधित सहायक यंत्री	7	संबंधित कार्यपालन यंत्री	
	ब. वृहद स्वरूप का (भूतल के नीचे के हैण्डपंप की लाईन ऐसेंबली का सुधार। नलकूप में पानी की कमी या जलस्तर नीचे जाने व नलकूप के भर–पट जाने के कारण बंद हैण्डपंप छोड़कर)	हैण्ड पंप मैकेनिक / प्रभारी उपयंत्री	15		संबंधित सहायक यंत्री	15	संबंधित कार्यपालन यंत्री	

* नोट:– आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा।

उप सचिव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी